

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे सामक्ष सुनिश्चित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती सतत अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
किसी का नाम	संख्या	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
अलास)	4/18	29/11/11 30 200000 अध 052/2	649	0.05	29/11/11 30 200000 अध 052/2	649	0.05

क्रमांक :-

188

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

12.10.21

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिबिर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डी.काना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

शिबिर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.डी.काना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर